18. संगठन और प्रबंध

डेयर

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) की स्थापना कृषि मंत्रालय में दिसंबर 1973 में की गई थी। डेयर के कार्यों का आवंटन भारत सरकार के कार्य बंटवारा नियमों के अनुसार किया गया। इन्हें डेयर के परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प.) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है। डेयर में भारत सरकार का सचिव भा.कृ.अनु.प. के महानिदेशक के रूप में कार्य करता है, डेयर का वित्त सलाहकार ही भा.कृ.अनु.प. के वित्त सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सामान्यत: डेयर तथा भा.कृ.अनु.प. के बीच एकल फाइल प्रणाली का पालन किया जाता है।

विभाग में एक और स्वायत्तशासी संस्था है—केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल। विभाग द्वारा इसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा है और इसे पूर्ण वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

डेयर में समूह ए के 16, समूह बी के 14, समूह सी के 12 और समूह डी के 6 कर्मचारी हैं। परिशिष्ट-II समूह ए, बी, सी पदों पर नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अथवा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पद के अनुसार की जाती हैं। डेयर में सीधी नियुक्ति केवल समूह डी के पदों के लिए की जाती है। ये नियुक्तियां भारत सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को ध्यान में रखकर की जा रहीं हैं। इस समय डेयर में अनुसूचित जाति के 6 और अनुसूचित जनजाति के 1 कर्मचारी हैं।

प्रमुख कार्यकारियों के पदों एवं नामों का विवरण डेयर के परिशिष्ट-II में दिया गया है। वित्तीय आवश्यकताओं (अनुदान सं. 2) में 2009-10 के लिए डेयर तथा भा.कृ.अनु.प. (योजना तथा गैर-योजना) का बजट अनुमान (बी.ई.) तथा संशोधित अनुमान (आर.ई.) और वर्ष 2010-11 (योजना और गैर योजना) अनुमान शमिल है।

इन वित्तीय आंकड़ों का विस्तृत विवरण डेयर के परिशिष्ट-III में दिया गया है।

भा.कृ.अनु.प.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्तशासी संगठन के रूप मे किया गया है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों पर सोशायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत 16 जुलाई 1929 को पंजीकृत सोसायटी के रूप में भा.कृ.अनु.प. की स्थापना की गई। वर्ष 1965 तथा 1973 में दो बार इसका पुनर्गठन किया गया। पहले इसे इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता था। भा.कृ.अनु.प. का मुख्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली में है और इसके अन्य भवन कृषि अनुसंधान भवन-I और II और एन ए एस सी भी नई दिल्ली में स्थित हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री भा.कृ.अनु.प. के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होता है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) में भारत सरकार का सचिव भी होता है।

भा.कृ.अनु.प. सोसायटी का सामान्य निकाय भा.कृ.अनु.प. की सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था है और कृषि मंत्री, भारत सरकार इसके अध्यक्ष होते हैं। सामान्य निकाय के सदस्यों में कृषि, पशुपालन, मछली पालन मंत्री, विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, सांसद, उद्योग, शिक्षा संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधि, तथा किसान सम्मिलित हैं (परिशिष्ट-1)।

शासी निकाय (परिशिष्ट-2) भा.कृ.अनु.प. का मुख्य कार्यकारी तथा निर्णय लेने वाला प्राधिकरण होता है। महानिदेशक इसका अध्यक्ष होता है। प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विधायक तथा किसानों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इसके सहयोगी संगठन हैं- स्थायी वित्त समिति, प्रत्यायन मंडल, क्षेत्रीय समितियां, नीति नियोजन समिति, विभिन्न वैज्ञानिक पैनल तथा प्रकाशन समिति। वैज्ञानिक मामलों में महानिदेशक को 8 उप महानिदेशक सहयोग देते हैं। ये (i) फसल विज्ञान, (ii) बागवानी, (iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, (iv) कृषि इंजीनियरिंग, (v) पशु पालन, (vi) मात्स्यिकी, (vii) कृषि शिक्षा, तथा (viii) कृषि प्रसार क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय निदेशक (एनएआईपी) और एक राष्ट्रीय समन्वयक (एनएफबीएसएफएआरए) भी इससे सम्बद्ध है। उप महानिदेशक अपने संबंधित विषय के संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों और परियोजना महानिदेशालयों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय निदेशक (एनएआईपी) को एनएआईपी के कम्पोनेंट I से IV के तहत जारी समस्त परियोजनाओं का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान एनएफबीएसएफएआरए के कार्यकलापों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। एक नई अधिकार युक्त समिति का गठन करने के अलावा एनएफबीएसएमएआरए के लिए अलग सचिवालय भी स्थापित किया गया है। एनएफबीएसएफएआरए के तहत कृषि में अग्रणीय बुनियादी और महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यो के लिए राष्ट्रीय कोष से जुड़ी जिम्मेदारियां है। कृषि की अग्रिम वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं को हल करने के सुझावों पर आधारित साझा अथवा बहुसांख्यिकी अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाता है। भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-3 में दी गई है।

भा.कृ.अनु.प. द्वारा वैज्ञानिकों और अध्यक्ष भा.कृ.अनु.प. द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट इस प्रकार के अन्य पदों पर नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्तियों के द्वारा की जाती है। यह समस्त

चयन प्रक्रिया वर्ष 1973 में गठित स्वतंत्र कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के जरिये पूरी हो जाती है। अध्यक्ष, भा.कृ.अनु.प. के प्रति कृ.वै.च.मं. का उत्तरदायित्व होता है।

भा.कृ.अनु.प. द्वारा न केवल कृषि उत्पादों को बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के अनुरक्षण हेतु, बल्कि समुदाय के आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी प्रौद्योगिकियां विकसित की जाती हैं।

भा.कृ.अनु.प. के कृषि अनुसंधान ढांचे में 49 केंद्रीय संस्थान (परिशिष्ट-4), 6 राष्ट्रीय ब्यूरो (परिशिष्ट-5), 34 परियोजना निदेशालय (परिशिष्ट-6), 19 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (परिशिष्ट-7) तथा 79 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजनाएं (परिशिष्ट-8) शामिल हैं।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय स्वतंत्र रूप से भा.कृ.अनु.प. के अंतर्गत कार्यरत है। मीडिया और सूचना एकक, एरिस एकक और भा.कृ.अनु.प. के मुख्यालय में स्थित पुस्तकालय, परियोजना निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं। दीपा को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड में उपलब्ध अनुसंधान पत्रिकाओं का 47 देशों के 4,476 उपयोगकर्ताओं ने प्रयोग किया। यह एनएआईपी के ई-पब्लिशिंग नॉलेज सिस्टम इन एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत संभव हो सका है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 49 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 समतुल्य विश्वविद्यालयों और 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को धनराशि तथा अन्य सहायता प्रदान करता है और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को डेयर सहायता करता है। (परिशिष्ट-9)

किसानों के लिए अनुसंधान परिणामों के कारगर संचार के लिए भा.कृ.अनु.प. का क्षेत्रीय समन्वयन इकाइयों के साथ-साथ कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों का एक प्रभावी नेटवर्क संबद्ध है।

भा.कृ.अनु.प. प्रणाली में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण परिशिष्ट-10 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने विस्तृत अनुसंधान ढांचे, सुयोग्य वैज्ञानिक दलों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ कृषि अनुसंधान कार्यों में तीव्र गति से अग्रसर है तथा राष्ट्र के लिए आहार सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में पूरी तरह तत्परता के साथ प्रयासरत है।

बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन

पेटेन्ट : भा.कृ.अनु.प. को मेक्सिको में एक तथा भारत में चार पेटेन्टस प्रदान किए गए; भा.कृ.अनु.प. द्वारा दिए गए 30 पेटेन्ट आवेदनों को 18 माह की लॉक इन अवधि के बाद प्रकाशित किया गया; भा.कृ.अनु.प. के 15 संस्थानों द्वारा इस अवधि में 53 नए पेटेन्ट आवेदन दाखिल किए गए, इनमें सीआईएफटी, कोच्चि (13), सीआईआरजी, मखदूम (12), आईवीआरआई, इज्जतनगर (9), सीएमएफआरआई, कोच्चि (2), सिरकोट, मुम्बई (3), काजरी, जोधपुर (2), सीआईबीए, चेन्नई (2), एनसीआईपीएम, नई दिल्ली (2), क्रीजाफ, बैरकपुर (2), आईआईएनआरजी, रांची (1), निरजाफ्ट, कोलकाता (1), पौध जैवप्रौद्योगिकी पर एनआरसी, नई दिल्ली (1), मशरुम पर एनआरसी, सोलन (1), एनबीए 11, बैंगलुरू (1) और एसबीआई, कोयम्बटूर (1) शामिल है।

पौध किस्में : भा.कृ.अनु.प. को 81 किस्मों के अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार संरक्षित किस्मों की आर्यसूचित फसलों की कुल संख्या बढ़कर 225 हो गई। द प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया ने भा.कृ.अनु.प. के 109 पौध किस्म आवेदनों जिसमें 98 देशज किस्में और 11 नई किस्में शामिल हैं को सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त अधिसूचित जेनरा/फसलों की 11 किस्मों 10 नई और 1 देशज किस्म को संरक्षण के लिए आवेदन किया गया। कुल मिलाकर भा.कृ.अनु.प. द्वारा 745 पौध किस्म आवेदनपत्रों (653 देशज और 92 नई) को दाखिल किया गया। इनमें से 225 टाइटल प्रदान किए जा चुके हैं। जबकि अन्य 410 अवेदनों को जनजागरूकता के लिए 'द प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया' में प्रकाशित किया गया।

ट्रेडमार्क्स : पोल्ट्री पर परियोजना निदेशालय, हैदराबाद द्वारा 'कृषि ब्रोट' और 'कृषिलेयर्ट' नामक दो ट्रेडमार्क हासिल किए गए; ज्वार पर परियोजना निदेशालय हैदराबाद द्वारा 'ईटराइट'

भा.कृ.अनु.प. को प्रदान किए गए पेटेन्टस

पेटेंट संख्या	प्रदान करने वाला (देश)	**प्रदान करने की तिथि** (प्राथमिकता तिथि/कब तक प्रभावी)	शीर्षक	अन्वेषक
IN243803	भारत	**08 नवम्बर 2010** (27 अप्रैल, 2000 से 26 अप्रैल, 2010)	पूसा फ्रूट कोरिंग डिवाइस (हस्त चालित)	हरिशंकर शर्मा और अमर सिंह
MX279550	मेक्सिको	**30 सितम्बर 2010** (31 मई, 2002 से 30 मई, 2022)	रैपिड डिटेक्शन ऑफ बीटी क्राई टॉक्सिन्स	केशव आर. क्रांथि
IN242768	भारत	**09 सितम्बर 2010** (18 सितम्बर, 2006 से 17 सितम्बर, 2026)	सिंथेटिक जीन इनकोडिंग ए क्राई 1फा1 डेल्टा-एंडोटॉक्सिन ऑफ बेसिलस थूरिन्जिन्एसिस	पी. आनंद कुमार
IN238046	भारत	**19 जनवरी 2010** (12 नवम्बर, 2002 से 11 नवम्बर, 2022)	ए प्रोसेस फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैस	आर. सी. यादव
IN237912	भारत	**12 जनवरी 2010** (18 सितम्बर, 2006 से 17 सितम्बर, 2026)	सिंथेटिक जीन इनकोडिंग ए काईमेरिक, एंडो-टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थूरिन्जिएन्सिस	पी. आनंद कुमार

और 'जयकार' नामक ट्रेडमार्क प्राप्त किए गए; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू द्वारा 'अर्का नामक एक और ट्रेडमार्क प्राप्त किया गया।

कॉपीराइट : केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, इज्जतनगर ने संस्थान में विकसित दो-दो सॉफ्टवेयरों के कॉपीराइट्स पंजीकृत कराए।

प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण

भा.कृ.अनु.प. उद्योग बैठक, 2010: दिनांक 28 से 24 जुलाई 2010 को नई दिल्ली में भा.कृ.अनु.प. द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को सभी स्तर के कृषि उद्योगों को स्थानांतरित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक भा.कृ.अनु.प.-उद्योग बैठक 2010 का आयोजन किया गया। इसमें चार कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित चार थिमेटिक क्षेत्रों को फोकस किया गया : (i) बीज, रोपण सामग्री और पौध जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ii) जैविक टीके और अन्य पशु जैव टैक्नोलॉजिकल उत्पाद (iii) कृषि उपकरण और मशीने तथा (iv) कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्द्धन। इस बैठक में कुल उद्योगों के 168 प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने हिस्सा लेकर यह जानने का प्रयास किया कि उनके लिए किस प्रकार के लाभदायक उत्पाद एवं सेवाएं भा.कृ.अनु.प.

द्वारा विकसित किए गए है। भा.कृ.अनु.प. प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए उपयुक्त 15 सूत्रीय कार्य योजना की संस्तुति आने के अलावा इस बैठक में भा.कृ.अनु.प. के 38 संस्थानों में फसलों, पशुधन, मत्स्यिकी और अभियांत्रिकी विज्ञान से संबंधित 111 प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी भी 85 औद्योगिक घरानों/निजी कंपनियों और 19 संगठनों/संघों के समक्ष प्रस्तुत की गई। लगभग 75 प्रौद्योगिकियों के प्रति उपस्थित पतिनिधियों ने रुचि दिखाई जबकि भा.कृ.अनु.प. के प्रति उपस्थित प्रतिनिधियों ने साथ दिखाई जबकि भा.कृ.अनु.प. की 40 प्रौद्योगिकयों व्यवसायीकरण/लाइसेंसिंग के प्रस्ताव भी मिले। इनमें फसल किस्में/संकर (खासतौर से मक्का और सब्जी); बीटी कॉटन डिटेक्शन किट; संक्रामक बर्सल रोग नैदानिक किट, फिनफिश में नोडायाइटस, जैव कीटनाशी, स्नो बॉल टेंडर नट मशीन, कपास के डठलों से पार्टीकल बोर्ड बनाना, क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण, पूसा फल पेय, मूल्य संवर्द्धित मांस उत्पाद, मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद, भा.कृ.अनु.प.-उद्योग मिलन 2010 में भा.कृ.अनु.प. के साथ कृषि उद्योगों ने कुछ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये।

भा.कृ.अनु.प. प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण: विभिन्न फसलों की कई किस्मों/संकरो के अतिरिक्त, विभिन्न संस्थानों से कई व्यावसायिक कृषि-प्रौद्योगिकियों की सूचना मिली है।

भा.कृ.अनु.प. संस्थानों ने 90 सार्वजनिक एजेंसियों और निजी कम्पनियों के जरिए 70 कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का व्यावसायीकरण किया है। उदाहरणतया आईआईएचआर ने 21 अर्का उत्पादों और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का 23 कम्पनियों को लाइसेंस दिया है; भा.कृ.अनु.प. ने 12 निजी कंपनियों को 10 पूसा उत्पादों और अन्य आशाजनक प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया है; गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल ने गेंहू में संसाधन प्रबंधन और फसल सुरक्षा के लिए 11 निजी कंपनियों से भागीदारी की है; सिफेट, लुधियाना ने 30 निजी उद्योगों को लाइसेंस देकर

सीआईबीए	• एशियन सीबास आहार प्रौद्योगिकी (सीबीआई-भेतकियाहार) • पीएच परीक्षण और जल में घुलनशील ऑक्सीजन के लिए मूल्य प्रभावी किट	सीआईआरजी	• बकरी और भेड़ में ब्रूसेलोसिस की जांच हेतु डॉट एलिसा किट (ब्रूचैक)
सीआईएफए	• हस्त चालित हिमशीतक (क्रायोफ्रीजर) (सीआईएफए-क्रायो)	सीपीआरआई	• जैव उर्वरक-सह-जैव फफूंदीनाशक/जैव विषाणुनाशी सघंटन बी5
भा.कृ.अनु.प.	• टमाटर मे TYLCV और TOSPO विरोधी के लिए समाधान • पादप विषाणु जांच किट • बासमती धान थ्रेशिंग पद्धति-मूल्यांकन पद्धति • पशु आहार ब्लॉक बनाने वाली मशीन • सिंचाई सूची निर्माता-प्रोग्राम प्रद्धति • सब्जियों के लिए सुधरी वातावरणीय पैकिंग	आईआईएचआर	• सूक्ष्म-पोषण पत्ती फार्मूला (फसल विशेष) • मूल्य प्रभावी फेरोमोन जाल • जैव नियंत्रक कारकों का बहुउत्पादन (*वर्सीलियम क्लामाइडोसपोरियम, ट्राइकोडर्मा हार्जीनियम, टी विर्डी, पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस और स्यूडोमोनास फ्लूरेसिन्स*) • ओस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रौद्योगिकिया
		एनआरसीबी	• केले के तंतु निकालने की प्रौद्योगिकी
आईजीएफआरआई	• बरसीम-चिकोरी बीज अलगावक	सीआईपीएचईटी	• मापयुक्त शीत कक्ष • सीआईपीएचईटी अनार दाने निकालने का यंत्र (हस्त चालित) • बनाना कॉम्ब कटर
एनडीआरआई	• निम्न कोलेस्ट्रॉल घी		
डीओआर	• डीओआर बीटी-1 0.5% जैव कीटनाशी • डीओआर ब्यूवेरिया बेसिआना 30% जैवकीटनाशी		

10 प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण किया है; राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची ने दो निजी कंपनियों को 3 प्रौद्योगिकियों का हस्तांरण किया है और इसी तरह अन्य भा.कृ.अनु.प. संस्थान जैसे सीआईबीए, सीआईएफए, सीपीआरआई, आईजीएफआइआई, वीपीकेएएस, एनडीआरआई और डीओआर ने मत्स्य, आलू, घासों, मक्का, दुग्ध उत्पादों और जैव कीटनाशियों की प्रौद्योगिकियों को विभिन्न निजी कंपनियों को व्यावसायीकरण हेतु सौंपा है।

बौद्धिक संपदा का सुदृढ़ीकरण और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन पद्धति तथा मानव संसाधन विकास

फरवरी-मार्च 2010 मे 5-क्षेत्रीय स्तर की बैठक-सह-कार्यशाला के जरिए योजनाबद्ध और एकरूप बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के प्रयत्न किये गये। इसमें बौद्धिक संपदा प्रबंधन और बौद्धिक संपदा व्यवसाय की योजना और विकास पर लक्षित तकनीकी सत्र रखा गया। पूर्वी क्षेत्र में आईआईएनआरजी, रांची में 16 भागीदार प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एककों में 60 लोग शामिल हुए; पश्चिमी क्षेत्र में सीआईसीआर, नागपुर में 17 प्रौद्योगिकी प्रबंधन एककों से 94 लोग शामिल हुए, उत्तरी क्षेत्र में भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली और आईवीआइआई, इज्जतनगर में 30 प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एककों से 202 लोग शामिल हुए तथा दक्षिणी क्षेत्र में सीआईएफटी, कोच्चि में 22 प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एककों से कुल 22 लोग शामिल हुए।

25 भा.कृ.अनु.प. वैज्ञानिकों को वेग्निंग्न, नीदरलैंड (3), केम्ब्रिज, यूके (10) और ईस्ट लेंसिंग, एमआई, यूएसए (12) में पादम किस्म सुरक्षा, डीयूएस परीक्षण और बौद्धिक संपदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन के क्षेत्र में 2 सप्ताह के कार्यक्रम का अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव दिया गया। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यकलापों में संलग्न कई भा.कृ.अनु.प. वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण का आयोजन/भागीदारी दी गई ताकि प्रतियोगिता को बढ़ाकर बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन पद्धति को मजबूत किया जा सके।

प्रशासन

भा.कृ.अनु.प. पद्धति में कुल 6,429 स्वीकृत पदों में 4,619 वैज्ञानिक और आरएमजी मौजूद है; 7,263 स्वीकृत पदों में 6,318 तकनीकी; 5,075 स्वीकृत पदों में 4,274 प्रशासनिक कार्मिक और 8,862 स्वीकृत पदों में से 7,580 दक्ष सहायक स्टॉफ के पद भरे हैं (परिशिष्ट 10)

रिक्त पदों का भरना

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या आईडी सं. 2(25)/ई 111 डेस्क/2008 दिनांक 23 जून 2010 के अनुसार स्वीकृत प्रशासनिक और संबंद्ध पदों के लिए कैडर समीक्षा सुझाव के पश्चात निदेशक/उप सचिव/प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी/उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/सहायक के कई पद स्वीकृत किये गये है और तदनुसार पदोन्नति दी गई है इसके अलावा उपसचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/सहायक वैयक्तिक सहायक/अपर श्रेणी लिपिक/स्टैनों/अवर श्रेणी लिपिक/ग्रुप डी के ग्रेड में रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति कर दी गयी है।

एमएसीपी स्कीम के तहत वेतन वृद्धि की मंजूरी

भारत सरकार के निर्देशानुसार इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के कई योग्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी गई। इनमें सीएओ/एसएओ, वित्त एवं लेखा अधिकारी, निजि सचिव अनुभाग अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा), आशुलिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक और ग्रुप 'डी' के कर्मचारी शामिल हैं।

स्टाफ कल्याण निधि योजना

(i) निधि योजना की प्रबंधक समिति की सिफारिशों के

डेअर का बजट अनुमान और संशोधित अनुमान

मद	बजट अनुमान 2008-09		संशोधित अनुमान 2008-09		बजट अनुमान 2009-2010	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
मुख्य शीर्ष '3451' सचिवालय आर्थिक सेवाएं 090-सचिवालय	–	374	–	324	–	305
मुख्य शीर्ष '2415' कृषि अनुसंधान और शिक्षा 80-सामान्य						
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (010032)- राष्ट्रमंडल के कृषि अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के लिए भारत का सदस्यता अंशदान (सीएबीआई)	–	10	–	13.50	–	13.50
(020032)-अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर कंसलटेटिव समूह के लिए भारत का सदस्यता अंशदान	–	380	–	380	–	400
(030032)-अन्य कार्यक्रम	1100	–	477	–	*2100	–
(040032)-एशिया महाद्वीप के कृषि संस्थानों को भारत का अंशदान	–	5	–	5	–	5.25
(050032)-एनएसीए को भारत का अंशदान	–	9	–	10.50	–	10.25
(060032)-सीजीपीआरटी को भारत का अंशदान	–	5	–	5	–	5
(070032)-बीज परीक्षण संगठन को भारत का अंशदान	–	2.25	–	2.50	–	2.50
(080032)-आई एस एच एस बेल्जियम	–	0.75	–	0.50	–	0.50

*कृषि में मूल व महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कोष के लिए 20 करोड़ रुपए शामिल हैं।

अनुरूप भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के आठ दिवंगत कर्मचारी के परिवारों को 2,00,000 रुपए वित्तीय सहायता दी गयी।

(ii) स्टाफ कल्याण निधि योजना के अंतर्गत परिषद के कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को छात्रवृत्तियां (43) 2,500 रूपये प्रत्येक, कुल 107,500 ₹ दी गईं।

वित्त एवं लेखा परीक्षा

वर्ष 2009-2010 के लिए डेयर तथा भाकृअनुप (योजना और गैर-योजना) के बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आर ई) क्रमश: 3281.40 करोड़ रुपए और 3261.36 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमान (योजना और गैर-योजना) 3818.05 करोड़ रुपए है।

परिणाम-फ्रेमवर्क दस्तावेज

डेअर/भा.कृ.अनु.प. ने भारत सरकार के परिणाम-फ्रेमवर्क दस्तावेज नीति 2009-2010 के प्रथम चरण के तहत सभी 59 भारत सरकार विभागों में सर्वाधिक 95% उच्चतम स्कोर हासिल किया।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

डेयर

डेयर में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन और उसे लागू करने के उद्देश्य से राजभाषा अनुभाग है। इस अनुभाग में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा एक हिंदी टंकक है। विभाग के बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी में अनुवाद किया जाता है। हिंदी कार्यशालाओं, बैठकों का आयोजन, रिपोर्टों आदि का कार्य और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु हिंदी पखवाड़ा का आयोजन आदि इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

- राजभाषा नियमावली, 1976 नियम 10(4) के अन्तर्गत परिषद के 2 संस्थानों/केंद्रों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस प्रकार अधिसूचित संस्थानों की संख्या बढ़कर 116 हो गई।
- अतिरिक्त सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/ सचिव, भा.कृ.अनु.प. की अध्यक्षता में गठित डेयर तथा परिषद् की संयुक्त कार्यान्वयन समिति की तीन बैठक हुई। ठीक इसी प्रकार परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है तथा उनकी बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं।
- परिषद मुख्यालय में सभी संस्थानों से प्राप्त होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों तथा तिमाही रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की गई और कमियों को सुधारने के उपाय सुझाए गये।
- हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाने के लिए एक रोस्टर रखा गया है और तदनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से नामित किया जा रहा है। इस वर्ष 3 आशुलिपिकों और 17 टाइपिस्टों को क्रमश: हिंदी आशुलिपि और टाइपिंग के लिए नामित किया गया है।
- परिषद मुख्यालय में ''हिंदी चेतना मास'' का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को कार्यालय संबंधी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री जी का संदेश जारी किया गया। महानिदेशक महोदय ने भी एक अपील जारी करके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अनुरोध किया। विभिन्न संस्थानों/ केंद्रों में भी हिंदी दिवस/ सप्ताह/ मास का आयोजन किया गया।
- अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- वर्ष 2009-2010 के दौरान मुख्यालय के 10 अधिकारियों को अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए नकद पुरस्कार दिया गया।
- **राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार** वर्ष 2009-10 के लिए अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए निम्न संस्थानों को दिया गया।
  - (i) बड़े संस्थान का प्रथम पुरस्कार भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर और केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि को दिया गया।
  - (ii) छोटे संस्थान का 'क' और 'ख' क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम और द्वितीय केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेअर को दिया गया।
  - (iii) क्षेत्र के संस्थान के लिए प्रथम पुरस्कार केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि और द्वितीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद को दिया गया।
- वर्ष 2009 में गणेश शंकर विद्यार्थी उत्कृष्ट हिंदी कृषि पत्रिका पुरस्कार प्रथम कृम, राष्ट्रीय ऊंट अनु. केन्द्र, बीकानेर; द्वितीय कृषि किरण, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल; और सांत्वना पुरस्कार पूसा सुरभि भा.कृ.अनु.प., को दिया गया।
- राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार परिषद में हिंदी की प्रगति का जायजा लेने के लिए वर्ष 2010 (मुख्यालय और उनके संस्थानों सहित) 21 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय व सुझाव दिये गये। संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति ने इस वर्ष परिषद के 6 संस्थानों/केन्द्रों का निरीक्षण किया है।
- **राजभाषा आलोक** (12वां अंक) भा.कृ.अनु.प. स्थापना दिवस पर जारी किया गया।
- परिषद और इनके केंद्रों/ विभिन्न संस्थानों द्वारा जन उपयोगी व किसानों के लिए चलाए जाने वाले अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चलाए जा रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों तथा परिषद के कृषि विस्तार संबंधी सभी क्रियाकलापों में हिंदी व स्थानीय भाषाओं के प्रयोग में बहुत प्रगति हुई है।

- संसद में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त सामग्री के अलावा, वार्षिक योजना रिपोर्ट, अनुदान मांगों की समीक्षा, शासी निकाय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की वार्षिक आम सभा सहित अनेक बैठकों की समस्त सामग्री हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई। माननीय कृषि मंत्री व परिषद के अन्य उच्च अधिकारियों ने अपने अनेक व्याख्यान हिंदी में दिये। परिषद मुख्यालय में उनके भाषणों का मसौदा मूल रूप से हिंदी में तैयार किया गया।

भा.कृ.अनु.प. पुरस्कार समारोह

16 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, पूसा, नई दिल्ली में भा.कृ.अनु.प. पुरस्कार समारोह, 2009 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पंवार ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार द्वारा जो पहचान मिली है इससे उनमें ज्यादा जोश और सृजानात्मकता आयेगी और दूसरे लोगों को भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। 11 वर्गों के तहत 130 पुरस्कार प्रदान किये गये। इसमें 4 संस्थान, 122 वैज्ञानिक और 3 किसान शामिल हैं। 122 वैज्ञानिकों में 10 महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं।

तकनीकी समन्वयन

तकनीकी समन्वयन एकक के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं: 33 वैज्ञानिक सोसायटियों को पत्रिका प्रकाशन के लिए, 44 सोसायटियों/सहायकों/विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी/सिम्पोजिया के आयोजन और 24 को अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी/सिम्पोजिया इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और श्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार का चुनाव, भा.कृ.अनु.प. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैलेण्डर का निर्माण, तकनीकी सहयोग, संसदीय प्रश्न, वी.आई.पी. संदर्भ, भा.कृ.अनु.प. के विभिन्न संस्थानों के आईएमसी/आरएसी और आर.टी.आई. एक्ट के अनुसार प्रतिनियुक्ति आदि प्रश्नों का जवाब देना। इस अवधि में क्षेत्रीय समिति संख्या I की बैठक का आयोजन जम्मू, संख्या VII का बेंगलुरू, संख्या II का पोर्ट ब्लेअर, संख्या IV का रांची और संख्या VI का बीकानेर किया गया और इस वर्ष के दौरान निदेशकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इसके साथ ही भा.कृ.अनु.प. के सभी संस्थानों/प्रायोजना निदेशालयों के अनुसंधान तथा इससे जुड़े मामलों पर आधारित मासिक सारांश की रिपोर्ट भारत सरकार के मंत्रिमण्डल तथा अन्य संबंधित विभागों के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की गई। इसकी कापियां विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित विभागों को भेजी गयीं।

डी.एस.टी./डी.एस.आई.आर.डी.ए.सी. और भारत सरकार के कई विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान की गयी। डेयर और विदेशी विभिन्न सहयोगी भागीदारों के मध्य तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन और कार्य योजना बनाने के लिए तकनीकी समन्वय इकाई ने सहायता प्रदान की। अनेक समझौता ज्ञापन एवं कार्य योजनाएं डेयर/भा.कृ.अनु.प. और अन्य देशों के बीच है। डेयर/भा.कृ.अनु.प. और विभिन्न देशों के मध्य कार्ययोजनाओं सहित कई समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया। ❑